जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

132/15

अपील सूचना का अधिकार संख्या 132/2015 श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23के ब्लाक श्रीगंगानगर बनाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19-01-2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 26.06.15 के द्वारा जिला कलक्टर श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1– श्रीमान संयुक्त शासन सचिव (प्रथम) नगरीय विकास विभाग राज0 सरकार जयपुर के पत्रांक प.1(3)म.नि.वि./सेकेण्ड/2010 दिनांक 2605.2015 के पत्रांक शिकायत विरूद्ध श्री अशोक यादव सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर व अन्य 10 के विरूद्ध प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अदालत में कार्यवाही करने हेतु अभियोजन स्वीकृति बाबत आप द्वारा की गयी कार्यवाही की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि
2– आपके कार्यालय में उपरोक्त पत्र प्राप्ति की दिनांक व आर/आर की सूचना।
3– पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार व अधिकारी का नाम व पद की सूचन।
4– पत्र प्राप्ति से लेकर, इस सूचना का जबाब देने तक जो जो कार्यवाही आप द्वारा की गयी है उसकी प्रमाणित प्रति व सूचना।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम द्वारा यह अपील **निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर** के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त चार बिन्दुओ की सूचना द्वारा उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं राज0 सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत प्रत्यर्थी के विरूद्ध 25000रूपये हर्जाना लगाया लगाया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर ने अपने प्रतिवेदन संख्या 1757 दिनांक 17.09.2015 के द्वारा निम्न प्रकार से उत्तर प्रस्तुत किया हैः–

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के द्वारा अपील संख्या 132/2015 एवं प्रार्थी द्वारा आपको प्रस्तुत प्रथम अपील के अन्तर्गत मूल आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। उक्त का अवलोकन करने पर पाया गया कि उक्त प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

PTO — 2 —

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

132/15
A3/2

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ का संबंध उनके कार्यालय से नही है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त सूचनांओ के संबंध में यह अपील निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर के विरूद्ध पेश की गई है जिसका संबंध उनके कार्यालय से नही है। अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध ही अपील पेश करनी चाहिए। इसलिए यह अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। अपीलार्थी आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर